बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि–पत्र

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के राज्यादेश सं0–499(1) दिनांक–28.04.2015 की कंडिका–4 को संशोधित रूप में निम्नरुपेण पढ़ा जाय–

"4– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।"

2– उक्त राज्यादेश की कंडिका–6 एवं 7 में अंकित "प्राचार्य, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया" के स्थान पर "अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना" पढ़ा जाय।

3– उक्त राज्यादेश की कंडिका–6 में अंकित "सुसंगत कोषागार फॉर्म" के स्थान पर "बी0टी0सी0 फॉर्म–46" पढ़ा जाय।

4– उक्त राज्यादेश की कंडिका–12 को संशोधित रूप में निम्नरुपेण पढ़ा जाय–

"12– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।"

5– राज्यादेश सं0–499(1) दिनांक–28.04.2015 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

6– राज्यादेश की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेगी।

18/9/15

(शेखर चन्द्र वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–1/अ0क0–02/2015– 1065(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 18 / 9 / 2015

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, गया/जिलाधिकारी, गया/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गया/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ उप सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1/कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

18/9/15

सरकार के संयुक्त सचिव।